प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 25.10.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व दिया गया 66,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना वैदपुरा व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 66,000 रु0/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.07.18 को थाना वैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध मे थाना वैदपुरा पर तहरीर दी । तहरीर के आधार पर थाना वैदपुरा पर **मु0अ0सं0 115/18 धारा 363/366/376(2)/506 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट** पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री होरी लाल द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना वैदपुरा पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम चौधरी एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री आशीष तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 25.10.2024 को अन्तर्गत 363/366/506 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट में मा0 न्यायालय ASJ/TRC पॉक्सो एक्ट, इटावा द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 66,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **गुड्डू उर्फ सुबोध कुमार पुत्र पातीराम निवासी भिण्डरुआँ थाना सैफई जनपद इटावा।**